www.humanrightsinitiative.org

सूचना का अधिकार और पंचायती राज संस्थाएँ : एक केस स्टडी के रूप में छत्तीसगढ़

...सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थाएँ भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को संस्थापित करने में अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ देशों मे मानवाधिकारों को व्यावहारिक धरातल पर साकार करने के लिए कार्यरत

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, गैर–राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यादेश कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक धरातल पर साकार रूप देना है। 1987 में कॉमनवेल्थ के कई संघों ने मिल कर सी.एच.आर.आई. की स्थापना की थी। उनकी मान्यता थी कि जहाँ कॉमनवेल्थ ने सदस्य देशों को काम करने के लिए साझा मूल्य संहिता और कानूनी सिद्धांत और मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया वहीं दूसरी ओर कॉमनवेल्थ के भीतर मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं रहा है।

कॉमनवेल्थ के हरारे सिद्धांतो, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानवाधिकार दस्तावेजों के साथ–साथ कॉमनवेल्थ के सदस्य राज्यों मे मानवाधिकारों को समर्थन देने वाले घरेलू दस्तावेजों के प्रति जागरूकता तथा पालना को बढ़ाना सी.एच.आर.आई. के उद्देश्य हैं।

अपने प्रतिवेदनों तथा नियतकालिक जाँचों के जरिए सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों की प्रगति और उनके उल्लंघनों की ओर निरंतर ध्यान आकर्षित करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघनों की रोकथाम करने के लिए पद्धतियों और उपायों हेतु पैरवी करते हुए सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ सचिवालय, सदस्य सरकारों तथा नागरिक समाज के संघों को संबोधित करता है। अपने जन शिक्षण कार्यक्रमों, नीतिगत संवादों, तुलनात्मक अध्ययन, पैरवी और नेटवर्किंग के जरिए सी.एच.आर.आई. का समूचा रूख अपनी प्राथमिकता के मुद्दों के गिर्द एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने का है।

सी.एच.आर.आई. के प्रायोजक संगठनों* की प्रकृति इसे अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति बनाने और एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में काम करने मे समर्थ बनाती है। ये पेशेवर संगठन स्वयं अपने काम मे मानवाधिकार मानदंडों का समावेश कर सार्वजनिक नीति को भी दिशा दे सकते हैं और मानवाधिकारों संबंधी सूचनाओं, मानदंडों और व्यवहारों के प्रसार के वाहकों के रूप में काम कर सकते हैं। ये समूह अपने साथ स्थानीय ज्ञान भी लाते है, नीति निर्माताओं तक पहुँच बना सकते है, मुद्दों को उभार सकते हैं और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए साथ मिल कर काम कर सकते हैं।

सी.एच.आर.आई. नई दिल्ली, भारत में स्थित है और लंदन (यूके), आक्रा (घाना) में इसके कार्यालय हैं।

सलाहकार समिति : सैम ओकुडजेतू – अध्यक्ष; सदस्य : यूनाइस ब्रूकमैन– अमीसाह, मरे बर्ट, ज्यां कार्स्टोन, माया दारुवाला, एलिसन डक्सबरी, निहाल जयविक्रमा, बी.जी. वर्गीस, ज़ोरा युसुफ, बर्नडेट गनिलाऊ।

कार्यकारी समिति : बी.जी.वर्गीस – अध्यक्ष; माया दारूवाला – निदेशक। **सदस्य** : अनु आगा, डॉ. बी. के. चन्द्रशेखर, भगवान दास, नितिन देसाई, के. एस. ढिल्लॉन, हरिवंश, संजय हज़ारिका, पुनम मुट्टरेजा, आर. वी. पिल्लई, प्रो. मूलचन्द शर्मा, जस्टिस रूमा पाल।

न्यासी समिति : निहाल जयविक्रम – अध्यक्ष; सदस्य : मीनाक्षी धर, डेरेक इंग्राम, नेवील लिंटन, कॉलीन निकोलस, लिंडसे रॉस, पीटर स्लिन, एलिजाबेथ स्मिथ, ऑस्टिन डेविस।

*कॉमनवेल्थ पत्रकार संघ, कॉमनवेल्थ अधिवक्ता संघ, कॉमनवेल्थ विधिक शिक्षा संघ, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन।

डिजाइन व लेआउट : रंजन कुमार सिंह, सीएचआरआई; रेखांकन : सुरेश कुमार; मुद्रक : मैट्रिक्स, नई दिल्ली, आभार : रश्मि जलोटा।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

सीएचआरआई मुख्यालय
बी-117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्क्लेव
नई दिल्ली-110017 भारत
फोन : +91-11-2685-0523, 2686-4678
फैक्स : +91-11-2686-4688
ईमेल : chriall@nda.vsnl.net.in

सीएचआरआई लंदन कार्यालय
द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज
28, रसेल स्क्वेयर
लंदन WC1B 5DS, UK
फोन : +44-020-7-862, 8857
फैक्स : +44-020-7-862-8820
ईमेल : chri@sas.ac.uk

सीएचआरआई अफ्रीका कार्यालय
मकान नं. 9, सामोरा मिशैल मार्ग,
बेवरली हिल्स् होटल के सामने, ट्रस्ट टावर्स्
के आसपास, असाय्लम डाऊन, आक्रा, घाना
फोन/फैक्स : 0023-21-271170
ईमेल : chriafrica1@yahoo.com
chriafrica2@yahoo.ca

वेबसाइट : www.humanrightsinitiative.org

सूचना का अधिकार और पंचायती राज संस्थाएँ : एक केस स्टडी के रूप में छत्तीसगढ़

लेखन
सोहिनी पाल

अनुवाद
प्रतीक पाण्डेय

संपादन
शार्मेन रॉड्रिग्स
व
वेंकटेश नायक

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
2006

विषय सूची

भूमिका 1

भाग 1: छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाएँ 3
- जनजातीय क्षेत्र और पंचायतें 3
- ग्राम पंचायत 4
- ग्राम सभा 6
- जनपद पंचायत 8
- जिला पंचायत 8

भाग 2: पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार को संचालित करने वाले कानूनों का सार-संक्षेप 10
- पंचायती राज कानून 11
- कार्यकारी आदेश 12
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 12

भाग 3: ग्राम पंचायत स्तर पर सूचनाओं का स्वैच्छिक रूप से खुलासा 20
- ग्राम सभा की बैठकों में स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं का खुलासा 20
- ग्राम पंचायत की बैठकों में स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं का खुलासा 22
- ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा सूचना सहयोग 23

भाग 4: जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा स्वैच्छिक रूप से खुलासा 25
- बैठकों से संबंधित स्वैच्छिक रूप से खुलासा 25
- वित्तीय एवं प्रशासनिक सूचनाओं का स्वैच्छिक रूप से खुलासा 25
- वार्षिक योजना तथा क्रियान्वयन प्रतिवेदन तक पहुँच 27
- सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना सहयोग 28

भाग 5: पंचायत चुनावों के समय स्वैच्छिक रूप से खुलासा 29
- चुनाव की अधिसूचना 29
- सीट के आरक्षण/दर्जे के बारे में नोटिस का प्रकाशन 30
- चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन 30
- मतदाता सूची का प्रकाशन 31
- मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 31
- निर्वाचित पंचायत सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची का प्रकाशन 32

भाग 6: निवेदन पर सूचना का खुलासा 33

परिशिष्ट-1 34

भूमिका

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ आम लोगों की उनके अपने शासन मे भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, सरकार को विकेन्द्रित करने का देश में विकसित हुआ एक प्रयास है। 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए *73वें संविधान संशोधन अधिनियम* से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरूआत हुई। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों में शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ। पंचायती राज संस्थाएँ गाँव, जनपद (ब्लॉक) और जिला स्तर पर काम करती है। ग्राम स्तर पर लगभग 2,34,676, ब्लॉक स्तर पर 6097 और जिला स्तर पर 535 पंचायतें हैं। तीनों स्तरों पर कुल लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।[1]

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीणों को ग्राम नियोजन प्रक्रियाओं में भागीदारी करने, सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओ में शामिल होने का एक व्यावहारिक अवसर देती हैं। साथ ही, वे उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधे संवाद-संपर्क करने का मौका भी देती हैं और इस तरह वे निश्चित कर सकते है कि, उनके हितों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है और उनके पैसों को सही तरीके से खर्च।

सिद्धांत में पंचायती राज संस्थाएँ हालाँकि बहुत अच्छी पहल है, लेकिन वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं रहीं है। खराब प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र के निवासियों द्वारा सहभागी तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करने में असफलता और धनराशियों में हेराफेरी के कारण बहुत सी पंचायती राज संस्थाओं की आलोचना की गयी है। इस संदर्भ में सूचना का अधिकार यह तय करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि, पंचायती राज संस्थाएँ भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को स्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें। पंचायत संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब अधिक सार्थक होगी, जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएँ होंगी और वे निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगें।

व्यवहार में सूचना का अधिकार लोगों को आवेदन करने पर पंचायती राज संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुँच बनाने का एक साधन ही नहीं प्रदान करता, बल्कि स्वयं पंचायतों का भी कर्त्तव्य है कि, वे महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को अपनी पहल पर सार्वजनिक करें। उदाहरण के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, सूचना पटल पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने, गाँव में लाउड स्पीकर के जरिए या सरकारी गजट या स्थानीय समाचार-पत्रों मे प्रकाशन के द्वारा।

छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक कानूनी प्रावधान है जो कि सूचना का अधिकार को बढ़ावा देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (आगे इसे पंचायत राज अधिनियम पढ़ा जाए) में ऐसे

---

1. पंचायत राज मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय के सातवें सम्मेलन में दिये गये आंकड़े, दिसंबर 2004 की स्थिति में।

अनेक प्रावधान हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं से लोगों को सूचना प्राप्त करने में योग्य बनाते हैं। शासन के द्वारा लगभग 50 विभागों में सूचना के खुलासों के संबंध में शासकीय जारी किए गए थे। हाल ही में, 12 अक्टूबर 2005 को संसद द्वारा एक व्यापक "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" पारित किया गया। यह कानून देश के सभी सरकारी विभागों और छत्तीसगढ़ की सभी पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर लागू होगा। इस कानून के बारे में भाग-2 में विस्तार से चर्चा की गयी है।

जनता के द्वारा सूचना का अधिकार से संबंधित सामान्य कानूनों के उपयोग के बारे में काफी लेखन पहले ही हो चुका है। इसलिए ये पुस्तिका, खास तौर पर "छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम" और संबंधित नियमों में शामिल सूचना को सार्वजनिक करने के प्रावधानों का विश्लेषण करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है। इस दस्तावेज को तैयार करते हुए निम्न अधिनियमों एवं नियमों को संदर्भ बनाया गया हैः–

- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993;
- छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (बैठक प्रणाली) नियम, 1994;
- छत्तीसगढ़ पंचायत (अचल संपत्ति का स्थानांतरण) नियम, 1994;
- छत्तीसगढ़ पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994;
- छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य) नियम, 1994;
- छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियाँ एवं कृत्य) नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998;
- छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ) नियम, 1999 तथा
- छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत और जिला पंचायत (वार्षिक लेखा और प्रशासकीय प्रतिवेदन नियम, 1998)।

आशा है कि, सूचनाएँ हासिल करने के लिए स्वयं इन कानूनों का उपयोग करने के इच्छुक नागरिकों; पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों; जनता को सूचनाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं और कर्त्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो सकने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों और सूचनाओं को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए इन प्रावधानों का संकलन एक उपयोगी स्रोत पुस्तिका का काम करेगा।

भाग 1 : छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाएँ

मध्य प्रदेश को दो भागों में अलग करने के बाद 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के संबंध में संस्थागत और वैधानिक कदम सबसे पहले 1994 में उठाए गए। वर्ष 2000 में केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित किया गया, जिससे वर्तमान मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.1 करोड़ है। राज्य में लगभग 20,378 गाँव, 96 तहसील, 146 विकास खंड तथा 16 जिले हैं।[2]

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 एवं 79 के अनुसार, मध्य प्रदेश में लागू सभी कानून छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे, जब तक कि नए कानून न बन जाए या पूर्व के कानूनों को समाप्त ना कर दिया जाए। इसी आधार पर, मध्य प्रदेश में लागू पंचायत राज कानून भी छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, जिसे "छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993" नाम दिया गया जो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत व्यवस्था का आधार बना।

छत्तीसगढ़ में जनता और शासन को ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तर पर लगभग 9,820 ग्राम पंचायतें, विकासखंड स्तर पर 146 जनपद पंचायते तथा जिला स्तर पर 16 जिला पंचायते हैं।[3] जनवरी, 2005 में छत्तीसगढ़ में पहला पंचायत चुनाव संपन्न हुआ।

छत्तीसगढ़ में पंचायत निकायों की संख्या

नाम	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या
ग्राम पंचायत	9820
जनपद पंचायत	146
जिला पंचायत	16

जनजातीय क्षेत्र और पंचायतें

छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग –33% आदिवासी जनसंख्या है। जिसके कारण राज्य का

2. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत शासन वेबसाइट – http:// pib.nic.in/ feature/ feyr2001/fjun 2001/f080620012.html
3. प्रिया, *छत्तीसगढ़ की पंचायत राज व्यवस्था*, रायपुर, पृष्ठ-8.

अधिकतर भाग संविधान के अंतर्गत (विशेष अधिकार संपन्न) "अनुसूची 5 का क्षेत्र" घोषित किया गया है।[4] छत्तीसगढ़ के 7 जिले – सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कोरबा पूर्णतया पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत आते है और 6 अन्य जिले – रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और धमतरी आंशिक रूप से पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

इस पुस्तिका के संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था[5] के संदर्भ में किया गया संशोधन अपने आप ही अनुसूची 5 के क्षेत्रों मे लागू नहीं हुआ। चार साल बाद जब केन्द्रीय सरकार द्वारा "पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996" लाया गया, तब पंचायत व्यवस्था के प्रावधान अनुसूची पाँच के क्षेत्रों में लागू हुए। इसके अनुसार ही, 1997 में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों[6] में पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर, पंचायत राज अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत गाँव स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। हर ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों[7] में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। हर ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। एक उपसरपंच का भी निर्वाचन होता है, जो कि सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। हर ग्राम पंचायत में एक सचिव[8] भी होता है, जो कि एक या अधिक ग्राम पंचायतों के लिए अपनी सेवाएँ देता है।

जहाँ ग्राम सभा (विस्तृत वर्णन नीचे देखे) मतदाताओं से बनी एक सामान्य इकाई है, वहीं ग्राम पंचायत एक निर्वाचित कार्यकारी निकाय है। सामान्य निकाय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यकारिणी को अपने कर्त्तव्यों को पूरा करना होता है।

---

4. "अनुसूची पांच के क्षेत्रों" का वर्णन संविधान की अनुसूची में किया गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति के निवास स्थानों जिसे कि अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इनका निर्धारण शासकीय अधिसूचनाओं के माध्यम से किया जाता है।
5. भारतीय संसद द्वारा 1992 में पारित *"संविधान संशोधन (तिहत्तरवाँ) अधिनियम,* 1992.
6. इसे अब जाना जाता है – अध्याय 14ए (धारा 129 ए-एफ) *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.
7. वार्ड, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते है।
8. राज्य सरकार (अथवा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा सचिव की नियुक्ति होती है, जो कि एक ग्राम पंचायत या दो या अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए अपनी सेवाएँ देता है। सचिव ग्राम पंचायत के अभिलेखों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है और प्रशासनिक रूप से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होता है।

हर ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों से मिलकर तीन स्थायी समितियाँ बनती है –

- **सामान्य प्रशासन समिति** – अन्य विषयों के साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य, राजस्व, भूमि विकास, बजट, लेखा और वित्तीय संबंधी मामलों में अनुशंसा के लिए जिम्मेदार होगी।
- **निर्माण एवं विकास समिति** – अन्य विषयों सहित ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना, समस्त निर्माण कार्यो, संचार में सुधार, ग्राम विद्युतीकरण, जन स्वास्थ्य, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास और वन विकास के लिए जिम्मेदार होगी।
- **शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति** – अन्य विषयों सहित, सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी का निरीक्षण, स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रमाणीकरण, पंचायत क्षेत्रों में सफाई, समुदाय के कमजोर वर्गों हेतु कार्यक्रम बनाना और उसे क्रियान्वित करना तथा महिला एवं बाल विकास के लिए जिम्मेदार होगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपनी ओर से खुलासा

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD)[9] ने एक प्रकाशन किया है– "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन– सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका"[10] जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी पंचायत से कैसे प्राप्त की जा सकती है, के विषय में आम लोगों को जानकारी देने से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि गाँव में आधारभूत संरचना, रोजगार के अवसर, अनाज पर सब्सिडी, ग्रामीणों को आवास तथा पेयजल के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की है। हालाँकि, इन योजनाओं को ग्राम, विकास खंड तथा जिला स्तर पर क्रियान्वयन में पंचायतों की इस भूमिका से ग्रामीण अक्सर परिचित नहीं होते हैं, कई बार तो खुद निर्वाचित पंचायत सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं होती है। एन.आई.आर.डी. का यह प्रकाशन जानकारी का प्रसार कर ग्राम विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका (विशेषकर ग्राम सभा) के संबंध में जानकारी की कमी को दूर करने में सहायक होगा। यह जनता और निर्वाचित पंचायत सदस्यों पर केन्द्रित है। इसमें "सूचना का अधिकार" के प्रावधानों पर एक अध्याय भी शामिल है।

---

9. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, कार्य अनुसंधान तथा सलाहकार कार्य हेतु एन.आई.आर.डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से एक स्वायत्त संगठन के रुप में कार्य कर रही है।
10. प्रकाशन प्राप्त किया जा सकता है– एन.आई.आर.डी. राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500030; फोन : (040) 24008522/523/524; वेबसाइट : www.nird.org.in

ग्राम-सभा

हर गाँव में एक ग्राम सभा[11] होती है। ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनती है, जिनके नाम उस गाँव की मतदाता सूची में दर्ज है। ग्राम सभा की अवधारणा के पीछे महत्त्वपूर्ण सोच, सहभागी लोकतंत्र रही है। ग्राम सभा लोगों को एक स्थानीय मंच प्रदान करता हैं, जहाँ वे स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों के विकासात्मक व प्रशासनिक कार्यों का विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार से जवाबदेहता व पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात, ग्राम सभा गाँव के समस्त वर्गों महिला, दलितों, जनजातीय तथा सीमांत समूहों को स्थानीय विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा योजना में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।[12]

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 ग्राम सभा को विशेष अधिकार देता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी कर सकती है और उन पर सवाल उठा सकती है। ग्राम सभा गाँव के लिए वार्षिक योजना पारित कर सकती है, जिन्हें कि उच्च स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को अपनी योजनाओं में शामिल करना होता है। ग्राम सभा 3 लाख रु. तक की परियोजनाओं के अपने निर्णय को ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना खुद क्रियान्वित कर सकती है।

अनुसूची 5 के क्षेत्र में[13] ग्राम सभा प्रत्येक उस "समुदाय" के लिए होती है, जो कि अपने विशेष रीति-रिवाज तथा परम्परा के अनुसार अपना निर्वाह करती है। अतः ग्राम सभा गाँव, छोटे गाँवों तथा प्राकृतिक आवास के लिए स्थापित की जा सकती है। जनजातीय बाहुल्य पंचायतों में हर तीन माह में एक बार ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है।[14] इस बैठक की अध्यक्षता जनजातीय समुदाय[15] के एक सदस्य द्वारा की जायेगी – ना कि सरपंच या उपसरपंच द्वारा – जो कि बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित किया जाएगा।[16]

---

11. *तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम,* 1992 के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है– "ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के अंदर आने वाले किसी गाँव की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों की संस्था"।
12. प्रिया (2003) *ग्राम सभा और पंचायतें,* नई दिल्ली।
13. पुर्नचर्चा ऊपर देखे "जनजातीय क्षेत्र और पंचायते"।
14. नियम 4, *छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम,* 1998.
15. अनुसूचित जनजाति का अर्थ "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित कोई भी जनजातीय या जनजातीय समुदाय।" इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति, किसी राज्य के संबंध में, अधिसूचना के द्वारा जनजातीय या जनजातीय समुदाय का निर्धारण कर सकता है।
16. नियम 10, *छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम-सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम,* 1998.

मस्टर रोल में अनियमित्ता सामने आयी[17]

सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के 5 दिनों बाद 17 अक्टूबर 2005 को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लक्ष्मणगढ़ गाँव में लोगों ने एक जनसुनवाई का आयोजन किया। इस जनसुनवाई का आयोजन, "राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना" के अंतर्गत हाल में बने तालाब के संबंध में किया गया था।[18] इस परियोजना के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा 3.5 लाख रु. स्वीकृत किए गए थे। तीन साप्ताहिक मस्टर रोल में पाया गया कि, इसमें से 3.1 लाख रु. मजदूरी में खर्च कर दिए गए।

सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्यालय में बैठक के बाद मस्टर रोल काफी कठिनाई के बाद प्राप्त हुए। जनसुनवाई से यह बात साफ हुई कि, मस्टर रोल में बड़ी मात्रा में हेरा-फेरी की गयी थी। मस्टर रोल में 320 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। जनसुनवाई से पता चला कि, इसमें से सिर्फ 63 नाम ही असली थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि, 80% मजदूरों का निर्धारण भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा किया गया था।

यह पाया गया कि, मस्टर रोल में सारे अँगूठे के निशान, यहाँ तक कि वास्तविक मजदूर के भी जाली थे। उन्होंने अपने अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर एक अलग दस्तावेज – जिसे "कच्चा" मस्टर रोल (एक अस्थायी रजिस्टर, जिस पर कार्यक्षेत्र में मजदूरों की उपस्थिति तथा उनको किया गया भुगतान, लिखा जाता है) कहते हैं, पर किए थे।

दो तरह के मस्टर रोल – एक मजदूरी का भुगतान करने तथा दूसरा कोष जारी करने – की यह प्रक्रिया व्यापक रुप से कैसे हुई तथा यह जन कार्यों की राशि को हड़पने का एक सरल माध्यम थी। यह विधि सफल भी थी क्योंकि मस्टर रोल आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर थे।

इस जनसुनवाई के अंत में, एक प्रतिनिधि मंडल ने सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें इस अनियमितता से संबंधित सारे सबूत सौंपे। कलेक्टर ने गाँव वालों से वादा किया कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। हालाँकि, सरगुजा और अन्य कहीं के पूर्व अनुभव उत्साहवर्द्धक नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते है और कभी-कभार ही उन्हें सजा मिलती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम आशा कि एक किरण है, जो प्रतिरक्षा और गुप्तता की इस संस्कृति को बदल देगा।

---

17. जीन द्रेज (2005) "एक अन्य मस्टर रोल में अनियमितता सामने आयी" इण्डिया टुगेदर ऑनलाइन रिसोर्स : देखें: www.indiatogether.org/direct/2005/cdr-00088.html
18. ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, के अंतर्गत भारत शासन, देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में नगद और अनाज के रूप में संसाधन उपलब्ध कराती है, जिससे उत्पादक संपत्ति तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक, रोजगार उपलब्ध हो सके।

जनपद पंचायत

हर जिला, विकास खंडों (ब्लॉक) में बंटा होता है,[19] जो कि गाँवों का एक समूह होता है। हर विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत स्थापित की जाती है।

हर जनपद पंचायत में सम्मिलित हैं–

- सदस्य, जिन्हें विकास खंड के मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। हर विकास खंड को मतदान क्षेत्रों (सामान्यतया 10-25 के बीच) में बाँटा जाता है और हर मतदान क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है;
- उस विकास खंड में पूर्ण या आंशिक रुप से आने वाले विधान सभा चुनाव क्षेत्रों से चुने गए सभी विधायक; तथा
- विकास खंड के क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के 1/5 सरपंच, जिन्हें चक्रीय आधार पर एक वर्ष के लिए चुना जाता है। सरपंचों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।

प्रत्येक जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते है, जो कि निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। हर जनपद पंचायत में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता है।[20]

जिला पंचायत

हर जिले[21] में एक जिला पंचायत की स्थापना की जाती है।

जिला पंचायत में शामिल होते हैं :–

- सदस्य, जो कि जिले में मतदाताओं द्वारा चुने जाते है। हर जिला मतदान क्षेत्रों में बाँटा जाता है (सामान्यतया 10-35) और हर मतदान क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है;
- जिले से निर्वाचित लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान सभा के सदस्य;
- जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

हर जिला पंचायत मे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते है, जिन्हें कि निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। हर जिला पंचायत मे एक प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होता है।[22]

---

19. विकासखंड, नियोजन एवं नियमित बजट आबंटन के साथ विकास के लिए एक प्रशासकीय इकाई है। हर विकासखंड का प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को रिपोर्ट करता है।
20. अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त शासकीय अधिकारी।
21. जिला, राज्य स्तर से नीचे एक आधारभूत प्रशासनिक इकाई हैं, जो कि विभिन्न शासकीय विभागों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन व समन्वयन का कार्य करती हैं।
22. देखे टिप्पणी 20.

स्थायी समितियों का जनता के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए

हर जनपद पंचायत और जिला पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों के बीच से निम्न समितियों का गठन कर सकती है[23] :–

- **सामान्य प्रशासन समिति** :– जनपद एवं जिला पंचायत प्रशासन से संबंधित समस्त विषय, बजट, लेखा, कराधान तथा अन्य वित्तीय विषय, साथ ही ऐसे विषय जो किसी अन्य समिति को नहीं सौंपे गए हो, के लिए जिम्मेदार होगी।
- **कृषि समिति** :– कृषि, पशुपालन, शक्ति, भूमि सुधार (मृदा संरक्षण तथा कन्टूर बाँधना सहित, मछली पालन, बीज वितरण, अन्य विषय जो कि कृषि तथा पशुधन से संबंधित हो, के लिए जिम्मेदार होगी।)
- **शिक्षा समिति** :– शिक्षा, व्यस्क शिक्षा, अक्षम और बेसहारा का सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, बाढ, सूखा, भूकम्प पीड़ितों को राहत, स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए जिम्मेदार होगी।
- **संचार एवं कार्य समिति** :– संचार, लघु सिंचाई, ग्राम आवास, ग्राम जल आपूर्ति, निकासी एवं अन्य जनकार्य हेतु जिम्मेदार होगी।
- **सहयोग एवं उद्योग समिति** :– सहयोग, मितव्ययता एवं लघु बचत, कुटीर एवं ग्रामोघोग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिए जिम्मेदार होगा।

इन 5 समितियों के अतिरिक्त, जिला एवं जनपद पंचायत अन्य विषयों के लिये एक या अधिक समितियों की स्थापना कर सकती हैं।

23. धारा 47, *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.

भाग 2 : पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार को संचालित करने वाले कानूनों का सार-संक्षेप

सूचना का अधिकार आम लोगों तक सूचनाओं का प्रसार करने का एक सकारात्मक कर्त्तव्य सरकार को सौपता है और आम लोगों को सरकार के पास मौजूद सूचनाओं (और कुछ निजी संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं) को माँगने और प्राप्त करने का अधिकार देता हैं। सामान्यतः लोगों को सूचना दो तरीकों से दी जाती हैं :–

- **स्वैच्छिक रूप से खुलासा** :– सरकारी संस्थाओं को अपनी ओर से सूचनाओं की मुख्य श्रेणियों को प्रकाशित और प्रसारित करना होता है जिनमें लोगों की सामान्य दिलचस्पी है, जैसे संस्था का सांगठनिक ढाँचा, संस्था के द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ, महत्त्वपूर्ण प्रपत्र, निर्णय करने की प्रक्रिया इत्यादि। उदाहरण के लिए इन सूचनाओं को नोटिस लगाकर, नोटिस बोर्ड पर सूचनाएँ प्रदर्शित कर, सरकारी गजट मे सूचनाओं को प्रकाशित कर, बैठकों में सूचनाओं को पढ़ कर और इंटरनेट पर दस्तावेजों के प्रकाशन के द्वारा सार्वजनिक किया जा सकता है।

- **आवेदन** :– सरकारी संस्थाओं को आवेदक द्वारा किसी खास सूचना के लिए आवेदन करने पर एक आसान, समयबद्ध और सस्ते रूप मे सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रक्रिया बनानी होगी। सामान्यतया सरकारी संस्थाओं मे आवेदक से आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही कर सूचनाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी किसी विशेष अधिकारी को दी जाती है। स्पष्ट है कि, पंचायते स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ है और लोगों के सबसे ज्यादा करीब है, अतः लोगों को इनसे सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के मध्यप्रदेश से विभाजन के बाद मध्यप्रदेश ने 2002 में सूचना का अधिकार पर एक कानून बनाया[24], किंतु छत्तीसगढ ने इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाया जो लोगों को व्यापक अधिकार देता। इस पुस्तिका के लिखे जाने के समय छत्तीसगढ़ सरकार निम्न कानून/आदेश जारी कर चुकी है जो कि, पंचायतों से सूचना प्राप्त करने में सहायक है :–

- *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993;
- कार्यकारी आदेश जो शासकीय विभागों से सूचना लेने की प्रक्रिया निर्धारित करते है;
- *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.

24. मध्य प्रदेश *जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम,* 2002.

पंचायती राज कानून

सूचनाओं की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 1997 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि, हर राज्य को पारदर्शिता के तीन पहलुओं का क्रियान्वयन करने के लिए आदेश जारी करने पर विचार करना चाहिए। पहला, पंचायती राज संस्थाएँ विशेषकर ग्राम पंचायते, विकास परियोजनाओं से सबंधित सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियों (विशेषकर प्राप्त धनराशियों और उनके व्यय से संबंधित) को पंचायत कार्यालय में या स्थानीय स्कूल के बाहर एक ऐसे बोर्ड पर प्रदर्शित करे, जिसे सब लोग आसानी से देख सके। दूसरा, सभी संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, जनता को विकास परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों (विशेषकर सभी बिल, मस्टर रोल, वाउचर, आनुमानित व्ययों, माप पुस्तिकाओं सहित हितग्राहियों के चयन में अपनाए गए मानदंडों और हितग्राहियों की सूची) के अलावा जनहित से संबंधित मुद्दों के विषय में एक न्यूनतम शुल्क पर सूचनाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए। सामान्यतौर पर पारदर्शिता के ये तीन पहलू छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिखायी देते हैं (जैसा पहले बताया गया है, चूँकि पूर्व में छत्तीसगढ मध्य प्रदेश का भाग था, अतः पंचायत राज अधिनियम आज छत्तीसगढ में भी लागू है जैसा कि मध्य प्रदेश पंचायत राज कानून[25] पारित हुआ था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक भाग था।[26] छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में आम जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रावधान हैं। इन प्रावधानों पर भाग 3-6 में विस्तृत चर्चा की गयी है।

छत्तीसगढ़ ई - पंचायत परियोजना के अंतर्गत सूचना तक पहुँच[27]

वित्तीय पर्यवेक्षण सहित ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर पर्यवेक्षण को आगे बढाने के लिए छत्तीसगढ़ ई-पंचायत सभी 146 जनपद पंचायतों और 16 जिला पंचायतों को जोड़ता है, जिसके अनुसार कम्प्यूटर संबंधी आधारभूत संरचना, सभी जनपद और जिला पंचायत को उपलब्ध करायी जाती है। 26 जनवरी 2005 को मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का शुभांरभ किया। यह परियोजना पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ और नेशनल इन्फॉर्मेशन सेन्टर (NIC) तथा NICSI द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी। इस परियोजना के संभावित लाभ निम्न हैं :–

- निर्णय देने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत की आधारभूत जानकारियों का संकलन;
- ग्राम पंचायत के संसाधन, वित्तीय स्रोत तथा आय स्रोत से संबंधित आंकड़ों का संकलन और सरलीकरण;
- ग्राम पंचायत को सरकारी सहायता, जनभागीदारी तथा दान से प्राप्त कोष की जानकारी का संकलन;
- ग्रामीण विकास योजनाओं का पंचायत स्तर पर ऑन-लाईन पर्यवेक्षण;
- हितग्राही योजनाओं, रोजगारोत्पादक योजनाओं व अन्य शासकीय योजनाओं का ऑन-लाईन पर्यवेक्षण;
- कार्य योजना, प्रशासकीय प्रबंधन और लेखा संबंधी आंकड़ों का संकलन।

25. मध्यप्रदेश *पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,* 1993.
26. 2001 मे संशोधन के बाद मध्यप्रदेश कानून का नाम बदलकर "*मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम,* 1993" रखा गया।
27. ई-पंचायत परियोजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए देखेः http:// epanchayat.cg.nic.in

कार्यकारी आदेश

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में सूचना का अधिकार के प्रावधानों के संबंध मे *कार्यकारी आदेश* (जिन्हें विभागीय आदेश भी कहा जाता है) भी है, जो कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। ये कार्यकारी आदेश उस समय जारी किए गए जब मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा एक व्यापक सूचना का अधिकार कानून को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया और राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति प्रदान नहीं की। यह आदेश फरवरी 1998 में मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व जारी किए गए थे।

यद्यपि, अंततः मध्य प्रदेश 2002 में सूचना का अधिकार कानून लागू करने में सफल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इस का अनुसरण न करते हुए कार्यकारी आदेशों पर ही भरोसा किया। शासकीय आदेश लगभग 50 विभागों से सूचना प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन आदेशों का संकलन "जानने का हक" नामक पुस्तिका में किया है। कार्यकारी आदेश के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जिस के संबंध में जनता विभाग से सूचना प्राप्त कर सकती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मई 2005 में संसद द्वारा *सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005* पारित किया गया। 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के 120 दिनो बाद पूरी तरह से लागू हो गया।

कौन और क्या शामिल नहीं है

हालाँकि, केन्द्रीय सरकार द्वारा नए सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया है, लेकिन इसका विस्तार केन्द्र के सभी सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी शासकीय विभागों तक है।[28] अधिनियम, संविधान द्वारा गठित व स्थापित संस्थाओं सहित सभी लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता हैं, इसका अर्थ है कि, भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल पंचायती राज संस्थाएँ भी इस अधिनियम के दायरे में आती हैं और इस तरह यह अधिनियम नागरिकों को इन स्थानीय निकायों से सूचनाएँ प्राप्त करने का एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान करता हैं।

अधिनियम नागरिकों को उन सूचनाओं तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो सरकार के पास उपलब्ध हैं। इसमें पंचायत के पास उपलब्ध सूचनाएँ भी शामिल है। नागरिक पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं, अभिलेखों या दस्तावेजों की टिप्पणियाँ, अंश या प्रमाणित प्रतियाँ हासिल कर सकते हैं, सामग्रियों के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाएँ हासिल कर सकते हैं।[29]

---

28. धारा 2(एच) *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005। अधिनियम, जम्मू काश्मीर में उसकी विशेष संवैधानिक स्थिति के कारण लागू नहीं होता है।
29. धारा 2 (आई), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.

कौन सी सूचनाएँ शामिल नहीं हैं ?

अधिनियम कुछ खास तरह की सूचनाएँ भी तय करता है, जिन्हें जनता को नहीं दिया जा सकता है, उन्हे "छूट" कहा गया है।[30] मुख्य छूटों में वे सूचनाएँ शामिल हैं, जो देश की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा या किसी विदेशी राज्य से देश के आर्थिक हितों या संबंधों को पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रभावित करे; विदेशी सरकारों से विश्वास के आधार पर प्राप्त सूचनाएँ; मंत्रिपरिषद, सचिवालयों और अन्य कार्यालयों के विचार विमर्श तथा कैबिनेट प्रपत्र; सूचना जिसका खुलासा करने पर किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिससे छानबीन, अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया मे बाधा पड़ेगी तथा जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है।

ध्यान देने योग्य है कि, यदि माँगी गयी सूचना छूट की श्रेणी के अंतर्गत आती हो, लेकिन सूचना का खुलासा न करने के स्थान पर खुलासा करने से जनहित की ज्यादा पूर्ति होती हो, तो अधिनियम के अनुसार माँगी गयी सूचना का खुलासा करना होगा।[31]

स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं का खुलासा

सूचना का अधिकार अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान धारा 4 है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का विभागों द्वारा अपनी पहल पर खुलासा करने की माँग करती है। वास्तविक रूप में सूचनाओं का अपनी पहल पर खुलासा (जिसे अंग्रेजी में *स्यूओ मोटो डिस्कलोंज़र* कहा जाता है) महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को, नागरिकों द्वारा बिना माँगे ही, सरकार द्वारा अपनी ओर से लगातार प्रकाशित करने का दायित्व है। इसके अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निम्न सूचनाएँ देना अनिवार्य है[32] :–

- पंचायती राज संस्थाओं के कार्य तथा संस्था के विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ;
- पंचायत के कार्य करने के लिए पंचायत कर्मियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, विधानों, निर्देशों, नियमावलियों तथा अभिलेखों के बारे में विवरण;
- पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण मे मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों के बारे में विवरण;
- पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की डायरेक्ट्री;
- नियमों में निर्दिष्ट मुआवजे की व्यवस्था सहित पंचायती राज संस्था के प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक;
- सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों के विवरणों व अदायगियों के प्रतिवेदनों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था के लिए आबंटित बजट;
- सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत योजना, आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों के विवरणों सहित;

---

30. धारा 8 (1) और धारा 9, *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
31. धारा 8 (2), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
32. धारा 4, *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.

- दी गई छूटों, परमिटों या अनुमोदनों के प्राप्तिकर्ताओं के विवरण; किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना का विवरण जो उसके पास उपलब्ध हो;
- किसी सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के विवरण;
- सूचना के आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार लोक सूचना अधिकारी का नाम पद व अन्य विवरण।

कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि, सूचना का अपनी पहल पर खुलासा लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संचार की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड, समाचार-पत्र, लोक उद्घोषणा, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।[33] सूचना, पंचायत में लोक सूचना अधिकारी के पास निःशुल्क अवलोकन हेतु या मुद्रण लागत पर उपलब्ध होनी चाहिए जिससे लोग उसे आसानी से प्राप्त कर सके।

आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

अधिनियम के अनुसार, हर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी (PIO) तथा उप-मण्डलीय या उप-जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारियों (APIO) की नियुक्ति करने का प्रावधान है। सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य, आवेदक से आवेदन प्राप्त करना और उसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास भेजना है। आवेदन के अनुसार नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराना लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार से आवेदन शुल्क और सूचना देने के लिए लगने वाले शुल्क, दोनों ही नहीं लिए जाएँगे। छत्तीसगढ़ में, यदि बीपीएल (BPL) आवेदक के द्वारा माँगी गयी जानकारी उसके जीवन से संबंधित है तो नियमानुसार उसे यह जानकारी उसी प्रारूप में दी जायेगी, जिस प्रारूप में उसे मांगा गया है। यदि सूचना उससे संबंधित नहीं है, तो यह ए4 आकार के 50 पृष्ठों की छायाप्रति या सूचना की लागत के रूप में 100 रु. तक की जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि माँगी गयी जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 से अधिक खर्च की है, तो आवेदक को अभिलेख का अवलोकन करने का निवेदन किया जाएगा।[34]

छत्तीसगढ़ के नियम स्पष्ट करते है कि, गरीबी रेखा के ऊपर के आवेदकों को आवेदन शुल्क 10 रु. नकद या चालान के रूप में जमा करना होगा।[35] लोक सूचना अधिकारी को, सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान करनी होगी या उचित कारण के साथ आवेदन को अस्वीकार

---

33. धारा 8 (4), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
34. नियम 3(1) (1-3) *छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम,* 2006। यह नियम छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 9 मार्च 2006 की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1/6 के द्वारा अधिसूचित किए गये।
35. चालान, शुल्क भुगतान के लिए सरकार द्वारा जारी एक प्रपत्र होता हैं।

करना होगा। यदि सूचना "किसी व्यक्ति की जान और स्वतंत्रता से संबंधित है", तो वह आवेदक को 48 घंटो के अंदर प्रदान की जाएगी।[36]

छत्तीसगढ़ में दस्तावेज की छायाप्रति हेतु आवेदक को 2 रु. प्रति पृष्ठ (ए3 और ए4 आकार) और बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक कीमत जमा करना होगा। सीडी, फ्लॉपी में माँगी गयी जानकारी हेतु आवेदक को प्रति सीडी या फ्लॉपी 50 रु. शुल्क देना होगा।[37]

आवेदक को दस्तावेज के अवलोकन के लिए प्रथम घंटे का 50 रु. शुल्क जमा करना होगा[38] और हर अतिरिक्त 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5 रु. जमा करने होंगे।[39]

यदि माँगी गयी जानकारी आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है और यदि यह प्रश्नोत्तर प्रारुप में मांगी गयी है तो यह 100 रु. प्रति पृष्ठ की दर से उसी प्रारूप में दी जाएगी या आवेदक को जानकारी तैयार करने मे होने वाले व्यय, जिसमें शामिल है– जनसंसाधन, कम्प्यूटर, समय व अन्य संसाधनों पर व्यय, का भुगतान कर जानकारी प्रदान की जाएगी। आवेदक को विकल्प के विषय मे सूचित कर राशि जमा करने के पश्चात सूचना प्रदान की जाएगी।[40]

इंदिरा आवास योजना में सूचना का अपनी पहल पर खुलासा[41]

इंदिरा आवास योजना उन लोगों के लिए है जो आवासहीन हैं या टूटे-फूटे कच्चे घरों मे रहते हैं। हाल ही में, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "द हिन्दू" राष्ट्रीय अखबार में आधे पृष्ठ का एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें इस योजना के विषय में अपनी पहल पर खुलासा था। यह जानकारी धारा 4 के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप थी। इसी प्रकार की जानकारी को स्थानीय स्तर पर पंचायतो के द्वारा भी प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले BPL परिवार को मकान बनाने कि लिए 25,000 रु. प्रति घर तथा पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र के परिवार को 27,000 रू. प्रति घर की सहायता दी जाएगी। महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि, मंत्रालय ने बताया वर्ष 2002 की BPL सूची के अनुसार हर ग्राम पंचायत के लिए एक स्थायी प्रतीक्षा सूची बनायी जा रही है, जिससे गरीब उनको होने वाले आबंटन के वर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। प्रतीक्षा सूची प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबंटन प्रदर्शित किया जाएगा। यदि सूची की प्राथमिकताओं या सूची के संबंध मे कोई शिकायत होती हैं, तो लोग जिला स्तर तक इसकी अपील कर सकते है। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी तथा अनियमितत्ता से बचाए रखना है।

---

36. धारा 7 (1), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
37. नियम 4, *छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनिमयन) नियम,* 2005.
38. नियम 4, *छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम,* 2006.
39. नियम 4, *छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनिमयन) नियम,* 2005.
40. नियम 3(बी) (1-2), *छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम,* 2006.
41. ग्रामीण विकास मंत्रालय का भुगतान विज्ञापन, द हिंदू (दिल्ली संस्करण), पृष्ठ 6, दिनांक 10 मार्च 2006.

क्या सूचना खुलासा न करने के निर्णय की पुर्नसमीक्षा हो सकती है

यदि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, तब आवेदक द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है। प्रथम अपील, उसी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी से ठीक वरिष्ठ अधिकारी (विभागीय अपीलीय अधिकारी) के पास की जाएगी। यह अपील निवेदन के प्रत्युत्तर में अस्वीकृति पत्र प्राप्त होने (अथवा यदि आवेदक ने प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया हो, तो जिस दिन निर्णय लिया जाना था) के 30 दिन के अंदर करनी चाहिए। प्रथम अपील के लिए 50 रु. (यदि अपील आदेश डाक द्वारा माँगा गया हो तो 75 रु.)[42]का शुल्क नगद या नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के रूप में जमा कराना होगा। विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस अपील पर अपना निर्णय 30-45 दिनों में देना होगा।[43]

यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी का निर्णय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय का समर्थन करता है, तब आवेदक द्वारा द्वितीय अपील राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग (राज्य या केन्द्रीय स्तर के लोक प्राधिकरण की स्थिति में)[44] के पास भेजी जा सकती है। द्वितीय अपील, विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील पर आदेश जिस दिनांक को दिया गया या उस दिनांक को, जिस दिनांक को प्रथम अपील प्रस्तुत किए गए 45 दिन पूरे हो गए हों, से 90 दिन के अंदर केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग को भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में द्वितीय अपील के लिए 100 रु. (यदि अपील आदेश डाक द्वारा मांगा गया है तो 125 रु.) का शुल्क नगद, चालान, मनीऑर्डर या नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा। विकल्प के रूप में आवेदक अपनी शिकायत सीधे केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास भेज सकता है। सूचना आयोग को अपना निर्णय देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अतः त्वरित और सकारात्मक जवाब प्राप्त करने के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना फलदायक हो सकता है, यदि इसके बाद भी आवश्यक हो, तो अपील सूचना आयोग को दी जा सकती है। आवेदक को यह विचार कर निश्चित करना होगा कि, वह किसी निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहता है या शिकायत।[45]

केन्द्र एवं समस्त राज्यों में गठित सूचना आयोग[46] को सस्ता, त्वरित एवं सबसे महत्त्वपूर्ण एक *स्वतंत्र* शिकायत एवं अपील निकाय के रूप मे कार्य करना है। आयोग को अपील पर सुनवाई एवं जाँच हेतु व्यापक अधिकार[47] एवं कानून के पर्यवेक्षण (वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण सहित) की जिम्मेदारी दी गयी है। आयोग कानून के पालन के लिए किसी भी प्रकार का आदेश देने मे सक्षम है, जिसमें शामिल है सूचना देना, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति तथा निश्चित सूचना का प्रकाशन।[48]

---

42. धारा 19 (1), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
43. धारा 19 (6), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
44. धारा 19 (3), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
45. धारा 18 (1), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
46. भाग 3 और 4, *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
47. धारा 18, *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.
48. धारा 18 (8) *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (जो कि राज्य के लोक प्राधिकरणों के संबंध मे अपील और शिकायत प्राप्त करेगा) तथा केन्द्रीय सूचना आयोग (जो कि केन्द्र के लोक प्राधिकरणों के संबंध मे अपील और शिकायत प्राप्त करेगा) दोनों की स्थापना हो चुकी है और इनसे निम्न पतों पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

श्री वजाहत हबीबुल्लाह
मुख्य सूचना आयुक्त
केन्द्रीय सूचना आयोग
ब्लॉक क्रं. 4 (पाँचवाँ तल)
पुराना जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली-110011
फोन : (011) 2671 7354
फैक्स : (011) 2671 7352
ईमेल : whabibulah@nic.in
वेबसाइट : www.cic.gov.in

श्री ए.के. विजयवर्गीय
मुख्य सूचना आयुक्त
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
'निर्मल-छाया'
बॉटल हाउस के पास
मीरा दातार रोड़, शंकर नगर 16
रायपुर-492001
फोन : 0771-402 4406, 402 4140
ई-मेल : akvijayavargia@cg.nic.in

क्या अधिकारी को दण्ड दिया जा सकता है ?

प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी (या वह अधिकारी/कर्मचारी, जिससे लोक सूचना अधिकारी ने सहयोग के लिए निवेदन किया था) को किसी आवेदन को अस्वीकार करने, निर्धारित समयावधि के भीतर सूचनाएँ न देने; जानबूझ कर अधूरी, गलत, या भ्रामक सूचना देने; माँगी गयी सूचना को नष्ट करने और/या किसी अन्य तरीके से सूचना देने में बाधा डालने के लिए 250 रु. प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 रु. तक का दण्ड दिया जा सकता है।[49] दण्ड किसी अपील या शिकायत पर फैसला करते समय केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा दिया जाएगा।

49. धारा 20, *सूचना का अधिकार अधिनियम,* 2005.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन[50]

लोक प्राधिकारी इकाई का स्तर	विभाग का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का पद	लोक सूचना अधिकारी का पद	विभागीय अपीलीय अधिकारी का पद
राज्य प्रशासनिक स्तर पर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अवर सचिव	संयुक्त सचिव	विशेष सचिव
मुख्यालय स्तर पर	विकास आयुक्त कार्यालय	उपायुक्त	संयुक्त आयुक्त	विकास आयुक्त
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	कार्यपालक अभियंता (ग्रा.यां.से.)	अद्दीक्षण अभियंता (ग्रा.यां.से.)	मुख्य अभियंता (ग्रा.यां.से.)
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कार्यपालन अभियंता (मॉनिटिरिंग)	अद्दीक्षण अभियंता (योजना)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CGRRDA)
मुख्यालय स्तर पर	पंचायत संचालनालय	उपसंचालक पंचायत (प्रशासन) अतिरिक्त	संयुक्त संचालक पंचायत	संचालक पंचायत
जिला स्तर पर	ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य का.पा.अ./ सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	कलेक्टर
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सहायक अभियंता (ग्रा.यां.से.)	कार्यपालन अभियंता (ग्रा.यां.से.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	सहायक अभियंता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)	कार्यपालन अभियंता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

50. 24 अक्टूबर 2005 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 4781/पंग्राविवि/05.

लोक प्राधिकारी इकाई का स्तर	विभाग का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का पद	लोक सूचना अधिकारी का पद	विभागीय अपीलीय अधिकारी का पद
जनपद स्तर पर	पंचायत शाखा	सब ऑडिटर पंचायत एवं समाज सेवा	उप संचालक / संयुक्त संचालक, पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
	विकास शाखा	विकास विस्तार अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	उप अभियंता (ग्रा.यां.से.)	सहायक अभियंता (ग्रा.यां.से.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत स्तर पर	पंचायत शाखा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत	उप संचालक / संयुक्त संचालक, पंचायत
	पंचायत	पंचायत सचिव/कर्मी	सरपंच, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

भाग 3 : ग्राम पंचायत स्तर पर सूचनाओं का स्वैच्छिक रूप से खुलासा

सूचना का अधिकार से संबंधित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत, कार्यक्रमों के संशोधित रुपों, परियोजनाओं का क्रियान्वयन बजट, ढाँचा, मानदण्डों और कार्यो पर नियमित आधार पर ताजा जानकारियों सहित सरकारों के लिए सामान्य प्रांसगिकता की सूचनाओं को नागरिकों के साथ बाँटना जरुरी है। ग्राम पंचायत के स्तर पर पंचायत राज अधिनियम 1993 पंचायतों को अपनी पहल पर कई प्रकार की सूचनाओं का खुलासा करने का कर्त्तव्य सौंपता है।

ग्राम सभा की बैठकों में स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं का खुलासा

ग्राम सभा के सदस्य कार्यों को ठीक तरीके से संपन्न कर पाएं और अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि, उन्हें सक्रिय तरीके से अपनी पंचायत से संबंधित विभिन्न विकास गतिविधियों और गाँव वालों के लाभ के लिए उपलब्ध धनराशि तथा योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। सूचनाएँ, लोगों को गाँव से संबंधित मामलों में सक्रिय भाग लेने और विशेषकर ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने में समर्थ बनाती है।

पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक हर तीन माह में एक बार होना आवश्यक है।[51] ग्राम सभा की बैठक निम्न समय पर आयोजित की जानी चाहिए :–

- 23 जनवरी से शुरु सप्ताह
- 14 अप्रैल से शुरु सप्ताह
- 20 अगस्त से शुरु सप्ताह, और
- 2 अक्टूबर से शुरु सप्ताह

ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक हेतु कोरम 1/10 होगा, जिसमें 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। ग्रामीणों की आवश्कतानुसार अतिरिक्त बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता सरपंच तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच के द्वारा की जाएगी।[52] ग्राम सभा की विशेष बैठक की स्थिति में इसकी सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व तथा सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व जारी की जानी चाहिए। नोटिस मे बैठक का स्थान, दिनांक, समय और बैठक कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल के साथ-साथ ऐसे स्थानों पर लगाया जाना चाहिए, जहाँ लोग इसे आसानी से देख सकें। ग्राम सभा बैठक की सूचना ग्राम वासियों तक मुनादी के द्वारा भी पहुँचायी जानी

51. 24 अक्टूबर 2005 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 4781.
52. धारा 6, *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.

चाहिए।[53] प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को ग्राम सभा की वार्षिक बैठक आयोजित होनी चाहिए, जो कि ग्राम सभा द्वारा अपने कर्त्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाया जा रहा है या नहीं, की समीक्षा के लिए ग्राम वासियों को महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इस बैठक मे ग्राम पंचायत को दो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनों – प्रशासकीय प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा कथन – सहित कुछ दस्तावेज (इनके विवरण के लिए सारणी देखे) प्रस्तुत करने होते हैं।[54]

ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य	**ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज**
■ ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन से पहले समस्त योजनाओं (वार्षिक योजना सहित), कार्यक्रमों और सामाजिक एवं आर्थिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना; ■ निर्धनता उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए हितग्राहियों की पहचान तथा उनका चयन करना;	■ अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्यो तथा अन्य कार्यक्रम;
■ ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और अनुशंसा करना; ■ गाँव के आर्थिक विकास के लिए योजनाओ की पहचान और उनकी प्राथमिकता के संबंध मे सिद्धांतों का निर्माण;	■ अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तथा वार्षिक योजना;
■ हितग्राहियों को कोष एवं संपत्ति का समुचित वितरण व उपयोग सुनिश्चित करना; ■ ग्राम पंचायत की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित कोष के समुचित उपयोग का पता लगाना और प्रमाणित करना;	■ लेखा का वार्षिक कथन; ■ पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन;
■ ग्राम पंचायत के अंकेक्षण प्रतिवेदन और लेखा पर विचार करना	■ अंतिम लेखा टिप्पणी एवं जवाब

53. *छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (बैठक प्रणाली) नियम,* 1994.
54. धारा 7, *छत्तीसगढ़ पचांयत राज अधिनियम,* 1993.

वार्षिक अंकेक्षण कथन – ग्राम पंचायत की प्रतियाँ, अतिरिक्त व्यय, बजट आंकलन और परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता हैं। इसके साथ निम्न कथन शामिल होने चाहिए :–

- ग्राम पंचायत से संबंधित भाग, संग्रहण, ऋण का भुगतान तथा राजस्व का शेष;
- सहायता अनुदान प्राप्तियाँ एवं व्यय;
- केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के संबंध मे प्राप्त एवं व्यय की गयी राशि, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ;
- राज्य सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या अन्य संस्थाओ से प्राप्त ऋण;
- 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत की अस्थायी संपत्ति एवं देनदारियाँ।

प्रशासकीय प्रतिवेदन में निम्न सूचनाएँ शामिल होनी चाहिए :–

- ग्राम पंचायत सदस्यों की रिक्तियों का कथन;
- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं उनकी स्थायी समितियों की बैठकों के कथन;
- कर्मचारियों की स्थिति का कथन;
- वार्षिक योजना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के कथन;
- जनता के सहयोग से संबंधित कथन।

ग्राम सभा सदस्य को, ग्राम पंचायत कार्यालय में, कार्यालयीन समय के दौरान ग्राम सभा बैठक में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को अवलोकन करने का अधिकार हैं।

ग्राम पंचायत की बैठकों में स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं का खुलासा

ग्राम सभा बैठक में लोगों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत को अपनी मासिक बैठकों में भी सूचना का अपनी पहल पर खुलासा करना चाहिए। हालाँकि, ग्राम पंचायत की बैठक में विशिष्ट रूप से सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है, अतः व्यावहारिक रूप से सूचनाएँ ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच ही बाँटी जाती है।

ग्राम पंचायत की बैठक का नोटिस सचिव के द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी को भेजा जाएगा। नोटिस में बैठक का स्थान, समय, दिनांक व बैठक कार्यक्रम का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, इसके साथ ही यह नोटिस ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर भी लगाया जाना चाहिए। विशेष बैठक की स्थिति में नोटिस 3 दिन पूर्व तथा सामान्य बैठक की स्थिति में नोटिस 7 दिन पूर्व जारी किया जाना चाहिए।[55]

55. नियम 3, *छत्तीसगढ़ पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम,* 1994.

ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक के दौरान सचिव के द्वारा, वर्तमान एवं पिछली बैठक के बीच हुए आय और व्यय के विषय में प्रतिवेदन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्तमान बैठक तक संचयी आय एवं व्यय के ब्यौरे ग्राम पंचायत में चर्चा हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए।[56]

सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अपनी पहल पर खुलासे का उपयोग[57]

अक्टूबर 1996 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया, जिसके अंतर्गत सरगुजा जिले में उचित मूल्य की दुकान के द्वारा वितरित किए जाने वाले शक्कर, गेहूँ और मिट्टी तेल की छान-बीन जनता के द्वारा की जा सकती थी। हर उचित मूल्य की दुकान को तीन पंजी व्यवस्थित रखना था – स्कंध पंजी, विक्रय पंजी और राशन कार्ड पंजी। यह उस दुकान का कर्त्तव्य है कि, वह इस पंजी की प्रति को क्षेत्र के मुख्य सहकारी से प्रमाणित करवाएँ।

पारदर्शिता कार्यक्रम के सहयोग हेतु पंजी की प्रतियाँ लोगों के लिए तहसील[58] कार्यालय में उपलब्ध थी। कोई भी निवासी 3 रु. की दर से भुगतान कर पंजी की प्रति चौबीस घण्टे के अंदर ले सकता था। कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पहले, सरगुजा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गयी, जहाँ जननेता एवं अधिकारियों द्वारा इन लोगों को इस योजना के लाभ के बारे में बताया गया। कार्यक्रम क्रियान्वित होने के पहले महीने में ही यह जानकारी सामने आयी कि जिले में लगभग 2,50,000 कि.ग्रा. का सामान उपयोग नहीं हुआ और इस सामान की कालाबाजारी में भी कमी आयी।

ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा सूचना सहयोग

ग्राम पंचायत के सरपंच को अभिलेख और पंजी के उचित संरक्षण और प्रबंधन तथा सभी आवश्यक कथन और प्रतिवेदन व्यवस्थित रुप से तैयार हो, सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।[59] परिशिष्ट 1 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंध किए जाने वाले लेखा अभिलेखों तथा कथनों की सूची दी गई है। सचिव, जो कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों को रखने और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, सरपंच को आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने

---

56. धारा 44, *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.
57. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, *"छत्तीसगढ़ विजन 2010",* रायपुर।
58. छत्तीसगढ़ में, तहसील उपजिला स्तर से नीचे की एक प्रशासनिक इकाई हैं। तहसील का प्रमुख अधिकारी "तहसीलदार" कहलाता हैं। तहसील प्रशासकीय एवं भूमि संबंधी विषयों (भू-अभिलेख का प्रबंधन के संबंध) में अंतिम कार्यकारी निकाय हैं।
59. नियम 3, *छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य) नियम,* 1994.

में सहयोग देता है।[60] सचिव के निम्नलिखित कार्यालयीन कर्त्तव्य है[61] :–

(क) अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के बारे में बुनियादी सूचनाएँ एकत्रित और संग्रहित करना, जैसे–

- ग्राम पंचायत के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं की सूची, जैसे बालवाड़ी, पशुओं के लिए तालाब, पुस्तकालय आदि;
- ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थाओं की सूची, जैसे सहकारी संस्थाएँ, अस्पताल, विद्यालय, साक्षरता कक्षाएँ, आंगनवाड़ी तथा पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाएँ आदि;
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति के आंकड़े;
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के बारे में सूचनाएँ;
- विधायक एवं सांसदों के क्षेत्र विकास निधि (MP/MLALAD), राहत कार्य, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के नाम, व्यय व अन्य विवरण; तथा
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के विवाह, जन्म एवं मृत्यु संबंधी अभिलेख।

(ख) हर साल ग्राम पंचायत का प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना, और उन्हें पंचायत की बैठक में रखना जिसे की जनता प्राप्त कर सके;

(ग) ग्राम पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संबंध में वार्षिक योजना बनाना, उसे ग्राम पंचायत के सामने रखना और ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बाद उसे जनपद पंचायत को भेजना;

(घ) ग्राम पंचायत की बैठक में निरीक्षण एवं लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(च) विषय के आधार पर ग्राम पंचायत कार्यालय में फाइल बनाना और ग्राम पंचायत के पुराने अभिलेखों को पंजीयन के बाद सुरक्षित रखना; तथा

(छ) पंचायत राज अधिनियम 1993 और नियमों के अनुसार समस्त अभिलेखों एवं रजिस्टरों को तैयार करना।

60. धारा 69, *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.

61. नियम 4, *छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ) नियम,* 1999.

भाग 4 : जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा स्वैच्छिक रुप से खुलासा

यह भाग जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर सूचनाओं को सक्रिय रुप से सार्वजनिक करने पर केन्द्रित है। इस भाग में पंचायत के ऊपर के दोनों स्तरों पर एक साथ चर्चा की गई है, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम, 1993 में उनसे संबंधित प्रावधानों के बीच काफी समानताएँ हैं।

शासन के इन स्तरों पर सूचना का अधिकार महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं स्तरों पर ग्राम पंचायतों से सभी सूचनाएँ, योजनाएँ और प्रतिवेदन आदि संकलित की जाती है। साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संबंधित कार्यो, योजनाओं और परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशियों को जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों और फिर ग्राम पंचायतों को आबंटित किया जाता है। इसलिए, अगर लोगों को जानना है कि, ऊपर से नीचे की ओर संसाधनों का वितरण और उपयोग किस तरह से हो रहा है, तो लोगों को इन संस्थाओं से सूचनाएँ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऊपर के दो स्तरों का चुनाव लोग करते हैं, इसलिए इन स्तरों को भी अपने कार्य संचालन में समान रुप से जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए।

बैठकों से संबंधित स्वैच्छिक रुप से खुलासा

जनपद और जिला पंचायत की बैठक हर तीन माह में एक बार होती है। इनका आयोजन जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी[62] के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर बैठक के संबंध में नोटिस हर पदाधिकारी को भेजेगा, जिसमें बैठक का स्थान, समय, दिनांक तथा कार्यक्रम विवरण का स्पष्ट उल्लेख होगा। नोटिस को जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। ऐसा नोटिस सामान्य बैठक की स्थिति में सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की स्थिति में तीन दिन पूर्व जारी किया जाएगा।[63]

वित्तीय एवं प्रशासकीय सूचनाओं का स्वैच्छिक रुप से खुलासा

परिशिष्ट 1 में उन लेखा संबंधी अभिलेखों तथा कथनों की सूची है, जिन्हें जनपद एवं जिला कार्यपालन पंचायतों के द्वारा व्यवस्थित बनाए रखा जाना है। जनपद एवं जिला पंचायत की प्रत्येक बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा, संबंधित पंचायत की आय एवं व्यय का प्रतिवेदन और साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्तमान बैठक तक की संचयी आय एवं व्यय का प्रतिवेदन चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

---

62. शासकीय अधिकारी, जिसमें इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए शक्तियाँ निहित है।
63. नियम 3, *छत्तीसगढ़ पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम,* 1994.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (या मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) संबंधित पंचायत की वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार करेंगे। प्रतिवेदन में निम्न कथन संलग्न के रूप में लेंगे :–

- जनपद / जिला पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी;
- जनपद / जिला पंचायत के सदस्य;
- जनपद / जिला पंचायत के कर्मचारी एवं सेवक;
- जनपद / जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि का विस्तार;
- जनपद / जिला पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान;
- जनपद / जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ;
- जनपद / जिला पंचायत द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित समितियाँ;
- जनपद / जिला पंचायत की बैठकों का कथन;
- जनपद / जिला पंचायत की प्राप्तियों एवं व्यय, बजट अनुमान सहित;
- जनपद / जिला पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और वितरित या व्यय किया गया अनुदान;
- वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित योजना, जिन्हें जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा प्रशासित किया गया है, के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ;
- जनपद / जिला पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान क्रियान्वित कार्य एवं योजना;
- जनपद / जिला पंचायत के अस्थायी संपत्तियों और देनदारियों के विवरण;
- जनपद / जिला पंचायत द्वारा खरीदे गए वाहन, मशीन, उपकरण आदि के विवरण, तथा
- जनपद / जिला पंचायत के निरीक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के संकलन का कथन।

जनपद पंचायत के प्रतिवेदन में, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत के संबंध में भी जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष की 15 जून तक जनपद और जिला पंचायत की बैठकों में वार्षिक लेखा और प्रशासकीय प्रतिवेदन जमा हो जाने चाहिए। उसी समय पर, प्रतिवेदन को जनपद और जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर हिन्दी में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।[64]

---

64. नियम 5. *छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत और जिला पंचायत (वार्षिक लेखा और प्रशासकीय प्रतिवेदन) नियम,* 1998.

पंचायत संपत्ति की नीलामी के संबंध में खुलासा[65]

पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार, पंचायत के तीनों स्तरों पर (पंचायत की सहमति होने पर भी) किसी भी अचल संपत्ति को नीलामी के अतिरिक्त किसी भी तरीके से बेचा या लीज़ पर नहीं दिया जा सकता है। नीलामी की तिथि से 15 दिन पूर्व एक नोटिस, जिसमें बेचने या लीज़ पर देने की स्थिति के साथ-साथ नीलामी की तिथि, समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख हो, संबंधित पंचायत तथा तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, उस क्षेत्र में मुनादी के द्वारा यह जानकारी प्रचारित की जाएगी। यदि अचल संपत्ति का मूल्य 10,000 रु. से अधिक है, तो नोटिस स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

वार्षिक योजना तथा क्रियान्वयन प्रतिवेदन तक पहुँच

जनपद और जिला पंचायतों को विविध अभिलेखों को बनाए रखना होगा, साथ ही शासकीय निधियों के वितरण को दिशा देने के लिए नियमित प्रतिवेदन एवं योजना प्रस्तुत करना होगा और स्थानीय विकास संबंधी गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा बनानी होगी। हालाँकि, पंचायत राज अधिनियम 1993, जनपद एवं जिला पंचायत में विशेष रूप से योजना और प्रतिवेदन को अपनी ओर से प्रकाशित करने के लिए निर्देश नहीं प्रदान करता है, लेकिन यह वह महत्त्वपूर्ण ग्रामीण दस्तावेज है, जिसे कि निवेदन किए जाने पर आम लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

जनपद पंचायत निम्न योजना और प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है :–

- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित रूपरेखा की वार्षिक योजना, जिसे कि राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को सौंपा गया हो। वार्षिक योजना को जिला वार्षिक योजना[66] के साथ समाहित करने के लिए जिला पंचायत में जमा करना होगा।
- जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं को मिलाकर एक समग्र वार्षिक योजना बनायी जाएगी। यह योजना भी जिला पंचायत में जमा की जाएगी।[67]
- कार्य एवं विकास योजनाओं[68] से संबंधित रुप रेखा, जिसे कि जनपद पंचायत की निधि से संचालित करना है।[69]

---

65. नियम 8, *छत्तीसगढ़ पंचायत (अचल संपत्ति का स्थानांतरण) नियम,* 1994.
66. धारा 50 (1), *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.
67. धारा 50 (2), *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.
68. धारा 50 (3), *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.
69. प्रत्येक पंचायत एक कोष की स्थापना करेगी, जिसे पंचायत कोष कहा जाएगा। पंचायत की समस्त प्राप्तियाँ इसका एक भाग होगी। इस कोष को नजदीक के कोषालय, उप कोषालय, पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैंक में रखा जाएगा।

जिला पंचायत निम्नलिखित योजना एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी :–

- जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक वार्षिक योजना। जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि, वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत (जिसे किसी गतिविधि की जिम्मेदारी दी गई है) से वार्षिक योजना का समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाएं;
- वे योजना, जिसे कि कानून के आधार पर क्रियान्वित करना है और वे योजनाएँ जिसे कि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत को सौंपा गया है, के लिए वार्षिक योजना बनाना।

सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना सहयोग

जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष अभिलेख और पंजी के संरक्षण तथा उचित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।[70] अधिनियम के अनुसार, अध्यक्ष, कथन और प्रतिवेदनों को तैयार कराने के लिए भी प्रमुख रुप से जिम्मेदार होते है।

प्रत्येक अध्यक्ष को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सहयोग प्राप्त होता है। पंचायत राज अधिनियम 1993 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अभिलेख प्रबंधन कार्यो का स्पष्ट उल्लेख है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी :–

- पंचायत बैठक में किसी विषय पर चर्चा के संबंध में जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे;
- पंचायत या उसकी स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही से संबंधित समस्त प्रपत्र और दस्तावेज को अपनी सुरक्षा में रखेंगे;
- किसी भी विभाग के जिला कार्यालय या पंचायत के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी सूचना, वापसी, कथन या प्रतिवेदन को अपने पास बुला सकते हैं;
- पंचायत के प्रशासन से संबंधित वापसी, कथन, अनुमान, सांख्यिकी या अन्य सूचना तैयार करेंगे;
- वार्षिक विकास योजना और बजट तैयार करेंगे;
- योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे साथ ही पंचायत के लेखा संबंधी समस्त विषयों का पर्यवेक्षण करेंगे;
- पंचायत के द्वारा बनाए गए समस्त उप-नियमों, विनियमों को अपने हस्ताक्षर से प्रकाशित करेंगे।

70. नियम 3, *छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य) नियम,* 1994.

भाग 5 : पंचायत चुनावों के समय स्वैच्छिक रुप से खुलासा

चुनाव लोगों को अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने का आवश्यक लोकतांत्रिक अवसर देते हैं। चुनाव के बाद निर्वाचित व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनकी ज़रूरतों और हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। पंचायत स्तर के चुनाव स्थानीय शासन की प्रक्रियाओं में भागीदारी का केन्द्रीय बिंदु हैं। अगर लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों में से सबसे बुनियादी अधिकार – अपना प्रतिनिधि चुनने-का सार्थक रुप से प्रयोग करना है तो सूचनाएँ उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बेहतर सूचनाएँ रखने वाले मतदाताओं का अर्थ है बेहतर फैसला, अधिक संवेदनशील और तत्पर पंचायत सदस्य और बेहतर शासन।

पंचायत के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं। मतदाता सूचियों को तैयार करने की प्रक्रिया पर निगाह रखने, उसे दिशा देने और नियंत्रित करने और पंचायत के सभी चुनावों को आयोजित व संचालित करने की जिम्मेदारी "छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग"[71] की है। नए राज्य के रुप में अस्तित्व में आने के बाद जनवरी, 2005 में छत्तीसगढ़ में पहले पंचायत चुनाव हुए।

राज्य पंचायत नियमों की एक समीक्षा दर्शाती है कि, पंचायत चुनावों से संबंधित सूचनाओं को आम तौर पर सक्रिय रुप से सार्वजनिक किया जाता है, विशेषकर मतदाता सूचियों को तैयार व प्रकाशित करने, चुनाव कार्यक्रम, नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों तथा चुनावी नतीजों को प्रकाशित करने के जरिए।

चुनाव की अधिसूचना

पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है[72] :

- ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के चुनावों की अधिसूचना, संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय और वह ग्राम पंचायत जिस जनपद पंचायत के क्षेत्र में आती है, उसके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा कर जारी की जानी चाहिए;
- जनपद या जिला पंचायत सदस्यों के हर चुनाव के लिए संबंधित जनपद और जिला पंचायत कार्यालयों और जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया जाना चाहिए।

चुनाव के लिए नामांकन, नामांकन की छानबीन, प्रत्याशी के नाम वापसी की तिथि, मतदान तिथि और समय, मतगणना, परिणामों का सारणीयन और परिणामों की घोषणा से संबंधित नोटिस, मतदान तिथि[73] के 20 दिन

71. आयोग मे एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं।
72. नियम 90, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.
73. नियम 28 एवं 29, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.

पूर्व जिला चुनाव अधिकारी[74] कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी[75] और संबंधित पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए।

सीट के आरक्षण/दर्जे के बारे में नोटिस का प्रकाशन[76]

73वें संविधान संशोधन की एक केन्द्रीय विशेषता पंचायत के सभी तीनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों[77] और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में और साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 इन आरक्षणों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

चुनाव के नोटिस के प्रकाशन के साथ ही जिला चुनाव अधिकारी उस पंचायत में हर आरक्षित सीट के बारे में भी नोटिस लगवाएगा जिसमें चुनाव होने जा रहे हैं। नोटिस निम्न कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए :

क. जिला चुनाव अधिकारी
ख. चुनाव अधिकारी, और
ग. संबंधित पंचायत

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन[78]

निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ रहे उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा, जिनके नामांकन प्रपत्र चार अलग प्रारुप में स्वीकार कर लिए गए हैं– पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के स्थान के लिए नामांकन। सूची में प्रत्याशी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम (A, B, C .....) में प्रत्याशी के पूरे पते के साथ (जैसा नामांकन पत्र में दिया गया है) हिन्दी में होना चाहिए।

---

74. जिला चुनाव अधिकारी जिले में पंचायत चुनाव के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वयन करते हैं, मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव क्रियान्वयन का प्रबंधन इसमे शामिल है।
75. निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। जिला चुनाव अधिकारी (यदि राज्य चुनाव आयोग अधिकृत करे) भी पंचायत चुनाव के लिए इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995 के अनुसार निर्वाचन अधिकारी को चुनाव मे अपनी भूमिका निभानी पडती है।
76. नियम 29-ए, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.
77. अनुसूचित जाति का अर्थ हैं– कोई भी जाति, प्रजाति या जनजाति जिसे उस निश्चित राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के संदर्भ मे अनुसूचित जाति कहा गया है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर अनुसूचित जाति को अधिसूचित करेंगे।
78. नियम 40, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.

प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह के आबंटन के बाद, चुनाव अधिकारी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन करेगा। चुनाव अधिकारी इस सूची की एक प्रति प्रत्याशी या उसके चुनाव अभिकर्ता को भी देगा।

मतदाता सूची का प्रकाशन[79]

मतदाता सूचियाँ तैयार करने के बाद मतदाता पंजीकरण अधिकारी[80] को सूची में नामों को शामिल करने के दावों और/या किसी नाम के शामिल किए जाने पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस प्रकाशित करना होगा। यह नोटिस निम्न कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए :

क. पंजीकरण अधिकारी;
ख. संबंधित ग्राम पंचायत; और
ग. जनपद पंचायत, जिसके क्षेत्र के अंतर्गत वह ग्राम पंचायत स्थित हैं।

नोटिस में स्थान और जिस समय के दौरान दावे और आपत्तियाँ दर्ज किए जा सकते है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नोटिस के प्रकाशन से कम से कम 5 दिन तक चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची की प्रति 2 रू. की दर से लोगों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। कार्यालयीन समय के दौरान यह निरीक्षण पंजीकरण अधिकारी या संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया जा सकता है। मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियाँ भी पंजीकरण अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है किंतु इन प्रतियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को राजस्व अभिलेख की प्रति हेतु निर्धारित शुल्क के बराबर का भुगतान करना होगा।[81]

मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन[82]

जिला निर्वाचन अधिकारी को हर चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करनी होगी और मतदान से कम से कम 20 दिन पहले मतदान केन्द्रों तथा मतदान क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करनी होगी। इस सूची की प्रतियाँ निम्न कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगायी जानी चाहिए :

क. जिला चुनाव अधिकारी;
ख. चुनाव अधिकारी, तथा;
ग. संबंधित पंचायत।

---

79. नियम 10, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.
80. अधिकारी जो जिले मे पंचायत चुनाव के लिए मतदाता के पंजीयन हेतु जिम्मेदार होता हैं।
81. नियम 13, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.
82. नियम 23, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.

हर मतदान केन्द्र के बाहर एक नोटिस, जिसमें मतदान क्षेत्र और प्रत्याशी का नाम हिंदी में लिखा हो, प्रदर्शित होना चाहिए।[83]

निर्वाचित पंचायत सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची का प्रकाशन[84]

चुनाव अधिकारी को जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की सूची प्रकाशित करनी होगी।

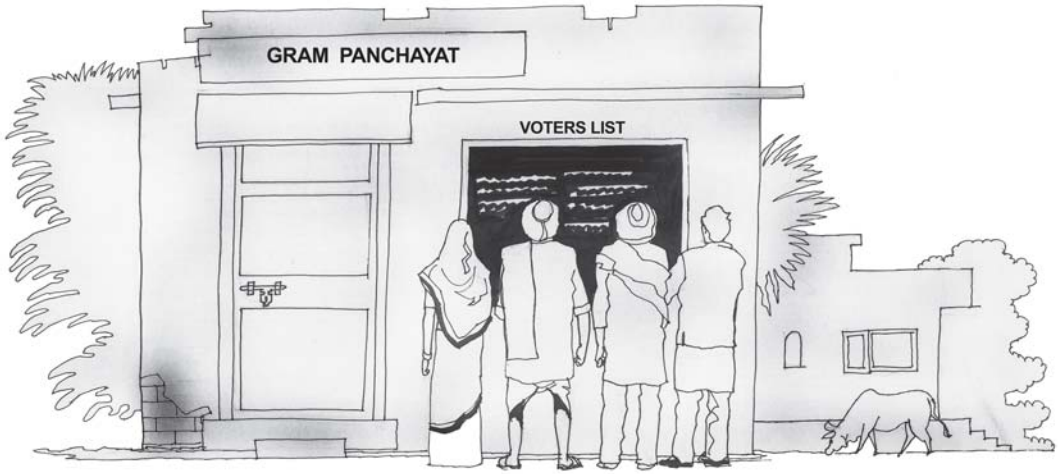

83. नियम 53, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.

84. नियम 19,26 एवं 33, *छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम,* 1995.

भाग 6 : निवेदन पर सूचना का खुलासा

मध्यप्रदेश के आदर्श कानून की तुलना में, छत्तीसगढ़ *पंचायत राज अधिनियम,* 1993 जनता को काफी सीमित रूप में, पंचायतों से निवेदन करने पर जानकारी प्राप्त करने मे समर्थ बनाता है। पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार, पंचायत तथा उसकी स्थायी समिति के अभिलेख, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध होगें और व्यक्ति पंचायत में आवेदन कर तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है।[85] हालाँकि, पंचायत राज अधिनियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि, व्यावहारिक रूप से लोग सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ना ही किसी प्रकार के प्रपत्र का निर्धारण किया गया है और ना ही किसी प्रकार का शुल्क अधिसूचित किया गया है।

अंततः, पंचायत राज अधिनियम का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि, इसमें गलत सूचना देने तथा सूचना न देने पर, दण्ड की व्यवस्था की गयी है। यह बात लोगों को पंचायत के अधिकारियों से सूचना लेने में क्षमता प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना देने के लिए जिम्मेदार है, सूचना न देने या फिर जानबूझकर गलत सूचना देने के लिए 250 रू. के दण्ड का दोषी होगा।[86]

वर्तमान स्थिति में, नया केन्द्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो जाने से, राज्य स्तर पर सूचना की प्राप्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधान के न होने के बावजूद कठिनाईयाँ कम हो गयी है। अब लोग इस नए कानून का प्रयोग कर पंचायत के तीनों स्तरों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मांगी गयी यह जानकारी आवेदक को अधिकतम 30 दिनों कें अंदर दी जाएगी यदि वह कानून में वर्णित छूट के सीमित प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है।

---

85. नियम 118, *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.
86. नियम 104, *छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,* 1993.

परिशिष्ट I

जिला पंचायत
लेखा संबंधी अभिलेख व विवरणों की सूची

प्रपत्र क्र.	प्रपत्र/रजिस्टर का नाम
जि.पं.ले.-1	रसीद पुस्तकें
जि.पं.ले.-2	रसीद पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर
जि.पं.ले.-3	रोकड़ बही
जि.पं.ले.-4	बैंक रजिस्टर
जि.पं.ले.-5	बैंक समाधान विवरण
जि.पं.ले.-6	समाधान लेजर
जि.पं.ले.-7	विशिष्ट प्रयोजन अनुदान का रजिस्टर
जि.पं.ले.-8	अनुदानों की प्राप्ति और व्यय का रजिस्टर
जि.पं.ले.-9	वितरित अनुदानों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-10	(वार्षिक) भाटक रेट व करों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-11	(मासिक) भाटक रेट व करों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-12	संदाय प्रमाणक (भुगतान वाउचर)
जि.पं.ले.-13	वेतन देयक रजिस्टर
जि.पं.ले.-14	कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिभूतियों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-15	ब्याजधारी उधारों तथा अग्रिमों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-16	बिना ब्याजधारी उधारों तथा अग्रिमों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-17	निवेश रजिस्टर
जि.पं.ले.-18	जुर्माना तथा शास्तियों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-19	स्थावर संपत्तियों का रजिस्टर
जि.पं.ले.-20	स्टॉक रजिस्टर
जि.पं.ले.-21	मासिक परीक्षण अतिशेष
जि.पं.ले.-22	मासिक प्राप्ति व संवितरण लेखा
जि.पं.ले.-23	वार्षिक प्राप्ति व संदाय लेखा
जि.पं.ले.-24	आय व व्यय लेखा
जि.पं.ले.-25	तुलन-पत्र

जनपद पंचायत
लेखा संबंधी अभिलेख व विवरणों की सूची

प्रपत्र क्र.	प्रपत्र/रजिस्टर का नाम
ज.पं.ले.-1	रसीद पुस्तक
ज.पं.ले.-2	रसीद पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर
ज.पं.ले.-3	रोकड़ बही
ज.पं.ले.-4	बैंक रजिस्टर
ज.पं.ले.-5	बैंक समाधान विवरण
ज.पं.ले.-6	सामान्य लेजर
ज.पं.ले.-7	अनुदान रजिस्टर
ज.पं.ले.-8	(वार्षिक) भाटक, रेट तथा करों का रजिस्टर
ज.पं.ले.-9	(मासिक) भाटक, रेट तथा करों का रजिस्टर
ज.पं.ले.-10	संदाय प्रमाणक
ज.पं.ले.-11	वेतन देयक रजिस्टर
ज.पं.ले.-12	कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिभूति का रजिस्टर
ज.पं.ले.-13	ब्याजधारी उधारों तथा अग्रिमों का रजिस्टर
ज.पं.ले.-14	बिना ब्याजधारी उधारों तथा अग्रिमों का रजिस्टर
ज.पं.ले.-15	जमा कराई गई धनराशियों/निवेश का रजिस्टर
ज.पं.ले.-16	जुर्माना व शास्तियों का रजिस्टर
ज.पं.ले.-17	स्थावर संपत्तियों का रजिस्टर
ज.पं.ले.-18	अनुपयोगी स्टॉक रजिस्टर
ज.पं.ले.-19	मासिक परीक्षण अतिशेष
ज.पं.ले.-20	प्राप्ति तथा संवितरण लेखा
ज.पं.ले.-21	आय व व्यय लेख
ज.पं.ले.-22	तुलन-पत्र

ग्राम पंचायत
लेखा संबंधी अभिलेख व विवरणों की सूची

प्रपत्र क्र.	प्रपत्र/रजिस्टर का नाम
ग्रा.पं.ले.-1	रसीद पुस्तक
ग्रा.पं.ले.-2	संग्रह की गई बाजार फीस और अन्य राशियों के लिए रसीद
ग्रा.पं.ले.-3	रसीद पुस्तिकाओं का स्टॉक रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-4	रोकड़ बही
ग्रा.पं.ले.-5	सामान्य लेजर
ग्रा.पं.ले.-6	अनुदानों का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-7	भाटक, रेट तथा करों का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-8	भुगतान वाउचर (संदाय प्रमाणक)
ग्रा.पं.ले.-9	बयाना राशि/जमा राशियों का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-10	सिक्योरिटी बॉण्ड
ग्रा.पं.ले.-11	निवेश रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-12	जुर्माना और शास्तियों का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-13	स्थावर संपत्तियों का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-14	अनुपयोगी स्टॉक का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-15	मास की रसीद तथा संदायों का रजिस्टर
ग्रा.पं.ले.-16	रसीद तथा संदाय लेखे

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सी.एच.आर.आई. का आधार मान्यता है कि, मानवाधिकार, सच्चा लोकतंत्र और विकास लोगों के जीवन में तभी चरितार्थ होंगे जब कॉमनवेल्थ और इसके सदस्य देशों में जवाबदेही और भागीदारी के ऊँचे मानदण्ड और सक्रिय व्यवस्थाएँ होंगी। इसलिए और साथ ही एक व्यापक मानवाधिकार पैरवी कार्यक्रम के रूप में सी.एच.आर.आई. शोध, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सूचना प्रसार तथा पैरवी कर्म के जरिए सूचना तक पहुँच और न्याय तक पहुँच की पैरवी करता है।

मानवाधिकारों की पैरवी : सी.एच.आर.आई. मानवाधिकारों की पैरवी के लिए आधिकारिक कॉमनवेल्थ संस्थाओं और सदस्य सरकारों को नियमित रूप से अपने दस्तावेज सौंपता है। सी.एच.आर.आई. समय-समय पर तथ्यान्वेषी मिशन गठित करता है और 1995 के बाद नाइजीरिया, जांबिया, फिजी द्वीप समूह और सियरा लियोन में मिशन भेज चुका है। सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ मानवाधिकार नेटवर्क में समन्वय बनाने का काम भी करता है। यह नेटवर्क मानवाधिकारों की पैरवी के लिए सामूहिक शक्ति निर्मित करने हेतु विविध समूहों को एक मंच पर लाता है। सी.एच.आर.आई. की मीडिया यूनिट सुनिश्चित करती है कि मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे जन चेतना का अंग बनें।

सूचना तक पहुँच

सूचना का अधिकार : सी.एच.आर.आई. नागरिक समाज और सरकारों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, एक मजबूत कानून के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता के केन्द्र के रूप में काम करता है और भागीदारों को अच्छे व्यवहारों को क्रियान्वित करने में सहयोग देता है। सीएचआरआई सरकार और नागरिक समाज का क्षमता निर्माण और साथ ही नीति निर्माताओं के साथ पैरवी करता हुआ स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहभागिता में काम करता है। सी.एच.आर.आई. दक्षिण एशिया में सक्रिय है। हाल ही में इसने भारत में एक राष्ट्रीय कानून के लिए चलाए गए सफल अभियान को समर्थन दिया है। सी.एच.आर.आई. अफ्रीका में कानूनी प्रारुप लेखन में समर्थन और अन्य सहयोग देता है; प्रशांत क्षेत्र में यह सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करने वाले कानून में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता है।

संविधानवाद : सी.एच.आर.आई. की मान्यता है कि, संविधान लोगों द्वारा बनाए और अपनाए जाने चाहिए और उसने एक परामर्शपरक प्रक्रिया के जरिए संविधान बनाने और उनकी समीक्षा करने के लिए दिशानिर्देशन विकसित किए हैं। सी.एच.आर.आई. जन शिक्षण के जरिए संवैधानिक अधिकारों के ज्ञान को बढ़ावा देता है और इसने कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन के लिए वेब-आधारित मानवाधिकार मॉड्यूल विकसित किया है। चुनावों से पहले सी.एच.आर.आई. ने चुनावों की निगरानी करने, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाने का विरोध करने, मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रतिनिधियों के कार्य-प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नागरिक समूहों के नेटवर्क निर्मित किए हैं।

न्याय तक पहुँच

पुलिस सुधार : बहुत सारे देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रखवालों की बजाय राज्य के एक आक्रामक औजार के रूप में देखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा लोगों को न्याय से वंचित रखा जाता है। सी.एच.आर.आई. व्यवस्था में सुधारों को बढ़ावा देता है, जिससे पुलिस वर्तमान शासन व्यवस्था के उपकरण की बजाय कानून के शासन को बरकरार रखने वाली संस्था के रुप में काम करे। भारत में सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रमों का लक्ष्य पुलिस सुधारों के लिए जन समर्थन जुटाना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सी.एच.आर.आई. पुलिस की जवाबदेही से संबंधित मुद्दों और राजनीतिक हस्तक्षेप की जाँच-पड़ताल कर रहा है।

जेल सुधार : जेलों की बंद प्रकृति उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघनों का मुख्य केन्द्र बना देती है। सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य है कि लगभग निष्क्रिय पड़ी दौरा व्यवस्था को फिर से सक्रिय बना कर जेलों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोला जाए।

न्यायिक संगोष्ठियाँ : इंटरराइट्स की सहभागिता में सी.एच.आर.आई. ने न्याय तक पहुँच, विशेषकर समुदाय के सीमांत वर्गों के लिए, से संबंधित मुद्दों पर दक्षिण एशिया में न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयाजित की है।

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ साधारण लोगों की उनके अपने शासन में भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार को विकेन्द्रित करने का देश में विकसित हुआ एक प्रयास है। 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए 73वें संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण इलाकों में शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ।

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीणों को ग्राम नियोजन प्रक्रियाओं में भागीदारी करने, सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल होने का एक व्यावहारिक अवसर देती हैं। साथ ही वे उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधे संवाद-संपर्क करने का मौका भी देती है और वे इस तरह वे सुनिश्चित कर सकते है कि, उनके हितों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है और उनके पैसे को सही तरीके से खर्च।

इस संदर्भ में सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थाएँ भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को संस्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें। पंचायत संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब अधिक सार्थक होगी जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएँ होंगी और वे, निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगे।

आशा है कि सूचनाएँ हासिल करने के लिए इन कानूनों का स्वयं उपयोग के इच्छुक नागरिकों के लिए इन प्रावधानों का संकलन एक उपयोगी स्रोत पुस्तिका का काम करेगा।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

बी-117, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव
नई दिल्ली-110 017, भारत
फोन : +91-11-2685-0523, 2686-4678
फैक्स : +91-11-2686-4688
ईमेल : chriall@nda.vsnl.net.in
वैबसाईट : www.humanrightsinitiative.org